<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>24/12/2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने बड़े पैमाने पर वैट घोटाले (आबकारी एवं कराधान विभाग, सिरसा) के मामले में पदम बंसल, महेश बंसल और उनके परिवार के सदस्यों की 17.16 करोड़ रुपए (लगभग) की 37 अचल संपत्तियों को कुर्क करते हुए 22.12.2025 की तारीख का अनंतिम कुर्की आदेश संख्या 05/2025 जारी किया है।

ईडी ने हरियाणा पुलिस द्वारा सिरसा जिले में दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत जांच शुरू की, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि विभिन्न फर्मों ने बोगस सी-फॉर्म के आधार पर आबकारी एवं कराधान विभाग, सिरसा से वैट के रिफंड का दावा किया है।

पीएमएलए के तहत ईडी की जांच में पता चला है कि महेश बंसल और पदम बंसल के नेतृत्व वाले एक सिंडिकेट ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इन फर्मों को गरीब और अनजान लोगों के नाम पर शामिल किया और धोखाधड़ी करने के लिए उनके बैंक खातों का संचालन किया। इन फर्मों ने कथित तौर पर फर्जी सी-फॉर्म का उपयोग करके फर्जी अंतरराज्यीय बिक्री का दावा किया और आबकारी एवं कराधान विभाग, सिरसा के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके 4.41 करोड़ रुपये (लगभग) का कर रिफंड धोखाधड़ी से प्राप्त किया, जिससे कुल 43.65 करोड़ रुपये (लगभग) का नुकसान हुआ (जिसमें 20.01 करोड़ रुपये (लगभग) की देय राशि + 8.91 करोड़ रुपये (लगभग) का ब्याज + 17.34 करोड़ रुपये (लगभग) का जुर्माना शामिल है - 7.02 करोड़ रुपये (लगभग) की आईटीसी सरकारी खजाने को दी गई थी।

ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि उक्त रिफंड को बाद में पदम बंसल और महेश बंसल द्वारा निजी फर्मों के खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था और उनके नाम और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्ति हासिल करने में उपयोग किया गया था। मामले के संबंध में, ईडी ने पदम बंसल, महेश बंसल और उनके परिवार के सदस्यों की कुल 37 अचल संपत्तियों को कुर्क करते हुए 17.16 करोड़ रुपये (लगभग) का पीएओ जारी किया है।

इन एफआईआर के संबंध में आगे की जांच, वैट घोटाले में हरियाणा के अन्य जिलों में दर्ज एफआईआर के साथ, अपराध की आय का पता लगाने और लाभार्थियों के पूरे नेटवर्क की पहचान करने के लिए जारी है।